



अनुसूची / SCHEDULE - I

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(POINT OF PRESENCE) REGULATIONS, 2018

(देखें विनियम 10, 11, 13)
(See regulations 10, 11, 13)

पंजीकरण प्रमाणपत्र
CERTIFICATION OF REGISTRATION

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION No. 246022019

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए उपस्थिति अस्तित्व के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र
Certification of Registration as point of presence for National Pension System (NPS)

(क) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के अनुसार उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कार्य करने हेतु "एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड" [पूर्ववर्ती एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड] को यह पंजीकरण प्रमाणपत्र **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)** में कारोबार करने के लिए प्रदान करता है।

a. In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, the Authority hereby grants this Certificate of Registration to "**HDFC Pension Fund Management Limited**" [*erstwhile HDFC Pension Management Company Limited*] to act as a point of presence to transact in **National Pension System (NPS)** as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018:

(ख) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) की पंजीकरण संख्या / The registration code of the point of presence (PoP) is **POP246022019**

जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है और यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 और उसमें हुए संशोधन के तहत प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

The Certificate of Registration granted shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority and subject to adherence to the terms and conditions provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of presence) Regulations, 2018, and any amendments thereof.

This certificate of Registration shall be valid from 13.02.2019 and has been reissued on 03.12.2024 pursuant to the name change.



के आदेश से / By Order
द्वारा / On Behalf of

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory and Development Authority

(आशीष कुमार भारती / Ashish Kumar Bharati)
महाप्रबंधक / General Manager

तिथि / Date: 03rd December, 2024

स्थान / Place: New Delhi